

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 1504/2 ई0व0भू0
सेवा में,

दिनांक 19 / 06 / 2025

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 15 से उडलगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/154869/2022)

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/40/2023/एफ0सी0/760 दिनांक 31.08.2023.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त उल्लेखित शर्तों के अनुपालन आख्या

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी -प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:-	
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जेहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए, तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।		प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2,34,269.00 मात्र (रू0 दो लाख चौतीस हजार दो सौ उनहत्तर मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN324095578575 Dtd 04-04-2024 द्वारा किया जा चुका है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-1) आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रू0 49,196.00 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से UTR No. SBIN425164765962 Dtd 13-06-2025 द्वारा जमा किया जा चुका है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न-2)

डिस्पेंसर
19/6/2025
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र तैयार कर संलग्न हैं।
ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
4- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
5- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी- प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6 शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA न0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003 एवं 2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत: 0.261 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि UTR No. SBIN324095578575 Dtd 04-04-2024 द्वारा रू0 5,71,703.00 मात्र (रू0 पाँच लाख इकहत्तर हजार सात सौ तीन मात्र) जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न-2)।
(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बढ़ता (प्रमाण पत्र संलग्न-3)।

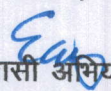
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
8	परियोजना के तहत परियोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फंड में स्थानांतरित / जमा किया गया है (चालान की प्रति संलग्न)।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से पूर्व में प्रस्ताव में संलग्न की जा चुकी है।
10	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण: अधिनियम 1986 के प्रावधानों के क्रम में प्रस्ताव में प्रारूप सं०-54 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषज्ञ वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward /Backward bearings अंकित हों।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

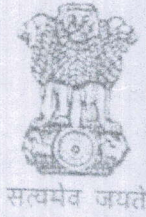
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम. 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिषानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने के कार्य किया जायेगा। मलवे का यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा- इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायलय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी,	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना चार प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न- सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,

 अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
 बागेश्वर



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./06/40/2023/एफ.सी./760

दिनांक: 31/08/2023

सेवा में,

- ✓ अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तना (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/154869/2022)

सन्दर्भ: कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2005/FP/UK/ROAD/154869/2022 दिनांक 20-02-2023

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अनुपालना कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.08.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार-जनपद- बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.522 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

- * (ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
- ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
6. शुद्ध वर्तमान मूल्य
- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.261 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 13 वृक्षों एवं 11 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
20. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
21. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
22. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० : 05963-220249 फैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 1469 / 12-1-2

बागेश्वर, दिनांक : 11 / 10 / 2023

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय -

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं० 8बी/यू.सी०.पी./06/40/2023/एफ.सी./760 दिनांक 31.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा निर्धारित दरों के क्रम में वर्ष 2023-24 के दर से वसूली वर्ष हेतु किया गया है। अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापित के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र०सं०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	घनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	0.261 है०	5	0.4	12,92,850.00	3,37,434.00
2	522 पौधों का वृक्षारोपण	0.522 है०	—	—	4,48,791.00	2,34,269.00

AE II / वन प्रमुख/सहायक

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

11 / 10 / 23

11/10/23



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

009559 NEFT: Message Details

NEFT: Message Details

UTR Number

SBIN324095578575

Transaction

Branch

01693

Value Date

04/04/2024

Amount

5,71,703.00

INR

Commission

0.00

Beneficiary Details

Beneficiary
Account

1508961154869374

Beneficiary Name

UTTARANCHAL CAMPA

Beneficiary
Address

BANGALORE

IFSC Code

UBIN0996335

Remitting Customer Details

Account Number

37608159322

Remitter's Name

EE PD PWD BAGESHWAR

Remitter's
Address

BAGESHWAR

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

Sender's To Receiver Information

Deposit/Reinvestment



Details of Payment

Error Code

Fund Status

--	--

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-04-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869374
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	571703/-

Amount In Words :Five Lakh Seventy-One Thousand Seven Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869374 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

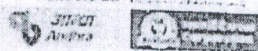
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

3/04/24
Executive Engineer
Prov. Division P.W.D
Bageshwar

03/04/24

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-04-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869374
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	571703/-

Amount In Words :Five Lakh Seventy-One Thousand Seven Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869374 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only



SBIN 324095578575

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-05-2025

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869785
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	49196/-

Amount in Words :Forty-Nine Thousand One Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869785 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-05-2025

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	61154869785
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2023/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	49196/-

Amount in Words :Forty-Nine Thousand One Hundred and Ninety-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961154869785 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBIN425164765962

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
बागेश्वर



परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ—बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उडलगांव तक निर्माण हेतु 0.522 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।

1—पौधारोपण स्थल का नाम— द० खबडोली कक्ष सं०—5

2—रोपित किये जाने वाले पौधों की सं०—1100 पौध प्रति है०।

3—रोपित किये जाने वाली पौधों की प्रजाति—बांज,फल्यांट, तिलौज आदि

क्र०सं०	कार्य विवरण	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
	प्रथम वर्ष— अग्रिम मृदा कार्य				
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	1	प्रति है०	1453.00	1453.00
2	क्षेत्र की सफाई	1	प्रति है०	1259.00	1259.00
3	घेरबाड़ कार्य	100	प्रति घमी०	679.00	67900.00
4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320	प्रति पौध	15.90	20988.00
5	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1100	प्रति गडडा	15.80	17380.00
6	भूमि संरक्षण कार्य 1—कन्टूर फर्रे 450 र०मी० (450x27=12150) (औसत साईज—1x0.30x0.30) 2— चाल—खाल 2 सं० (2x5000=10000) (औसत साईज—4x2.5x1.00) कुल योग—22150	ल०स०	प्रति है०	28750.00	28750.00
7	निरीक्षण बटिया	1	प्रति है०	1046.00	1046.00
				Total	138776.00
				Say	138780.00
8	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० व जल संरक्षण विकास एवं अनुरक्षण कार्य—2 प्रतिशत				2775.60
9	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण—0.50 प्रतिशत				693.90
10	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य—0.50 प्रतिशत				693.90
11	अन्य आकस्मिक व्यय—2 प्रतिशत				2775.60
				Total	145719.00
	प्रथम वर्ष का योग				145720.00
	द्वितीय वर्ष— वृक्षारोपण कार्य				
1	गडडा भरान	1100	प्रति गडडा	2.48	2728.00
2	कन्टूर फर्रे में बीज बुआई	450	प्रति र०मी०	1.50	675.00
3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320	प्रति पौध	2.70	3564.00
4	पौध ढुलान				
5	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	1320	प्रति पौध	12.17	16064.40
6	सिरबोझ ढुलान 3 कि०मी०	1320	प्रति पौध	8.16	10771.20
7	पौध रोपण	1100	प्रति पौध	4.44	4884.00
8	निराई—गुड़ाई प्रथम बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
9	निराई—गुड़ाई द्वितीय बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
10	खाद/रसायन	1100	प्रति पौध	0.45	495.00
11	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 है०=20568	1	है०	20568.00	20568.00
12	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	प्रति है०	318.00	318.00
13	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग—पूनिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)	100	प्रति है०	26.67	2667.00
14	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य	450	प्रति है०	1.50	675.00
				Total	67017.60
				Say	67000.00

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				670.00
16	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				335.00
17	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				1340.00
18	साईन बोर्ड लगाना (3X4 फीट)			L.S.	1000.00
				Total	70345.00
	द्वितीय वर्ष का योग				70350.00
	तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व दुलान का मूल्य रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा	220	प्रति पौध	38.93	8564.60
3	निराई-गुड़ाई मल्विंग व थाववलाबन्दी प्रथम बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
4	निराई-गुड़ाई मल्विंग व थाववलाबन्दी द्वितीय बार	1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	43342.60
				Say	43340.00
6	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				433.40
7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				216.70
8	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				866.80
				Total	44856.90
	तृतीय वर्ष का योग				44860.00
	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	चतुर्थ वर्ष का योग				32260.00
	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	पंचम वर्ष का योग				32260.00
	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70

स्थायक अभियन्ता
प्रतीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	षष्ठम वर्ष का योग				32260.00
	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	सप्तम वर्ष का योग				32260.00
	अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	अष्टम वर्ष का योग				32260.00
	नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	नवम वर्ष का योग				32260.00
	दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	दशम वर्ष का योग				32260.00
	एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	एकादश वर्ष का योग				32260.00
	द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)				
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852	1	है0	30852.00	30852.00
2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00	318.00
				Total	31170.00
				Say	31170.00
3	मूल्यांकन व अभिलेखीकरण-1.00 प्रतिशत				311.70
4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				155.85
5	अन्य आकस्मिक व्यय-2 प्रतिशत				623.40
				Total	32260.95
	द्वादश वर्ष का योग				32260.00
	व्यय सार:-				
1	प्रथम वर्ष-अग्रिम मृदा कार्य				145720
2	द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य				70350
3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)				44860
4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)				32260
5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)				32260
6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)				32260
7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)				32260
8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)				32260
9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)				32260
10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)				32260
11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)				32260
12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)				32260
	योग प्रथम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश व द्वादश वर्ष				551270
				Say	543037

1-प्रति है0 व्यय धनराशि:- 543037

2-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-0.522 x 543037= 283465

रू0-283465

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

(अ.पा.ल.पा.)
अ.पा.ल.पा.
अ.पा.ल.पा.

अ.पा.ल.पा.
अ.पा.ल.पा.
अ.पा.ल.पा.

डिजिटल मैप- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित वनीकरण स्थल - द0 खबडोली कक्षा0 5 क्षेत्रफल 0.522 हेक्टेअर SOI Toposheet No: 53009-53013



Legend

- सहायक अभियन्ता
- प्रांतीय खण्ड लो० नि०
- Division Boundary
- Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area

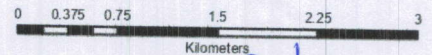
अधिरासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
बागेश्वर

वन विभागाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

उप-प्रभोगीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभोगीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Prepared by: UFTA, Haldwani



डिजिटल मैप- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावित वनीकरण स्थल - द० खबडोली कक्षा 5 क्षेत्रफल 0.522 हैक्टेअर SOI Toposheet No: 53009-53013

79°42'0"E

79°43'0"E

79°44'0"E

79°45'0"E

79°46'0"E



Legend

- Proposed CA Land
- Division Boundary
- Range Boundary
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area

अधिशाली अभियन्ता

प्र० ख० लो० नि० वि०

बागेश्वर

वन विभागीय अधिकारी

बागेश्वर वन क्षेत्र

बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

उप-प्रभोगीय वनाधिकारी

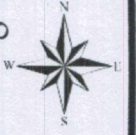
बागेश्वर

0 0.375 0.75 1.5 2.25 3
Kilometers

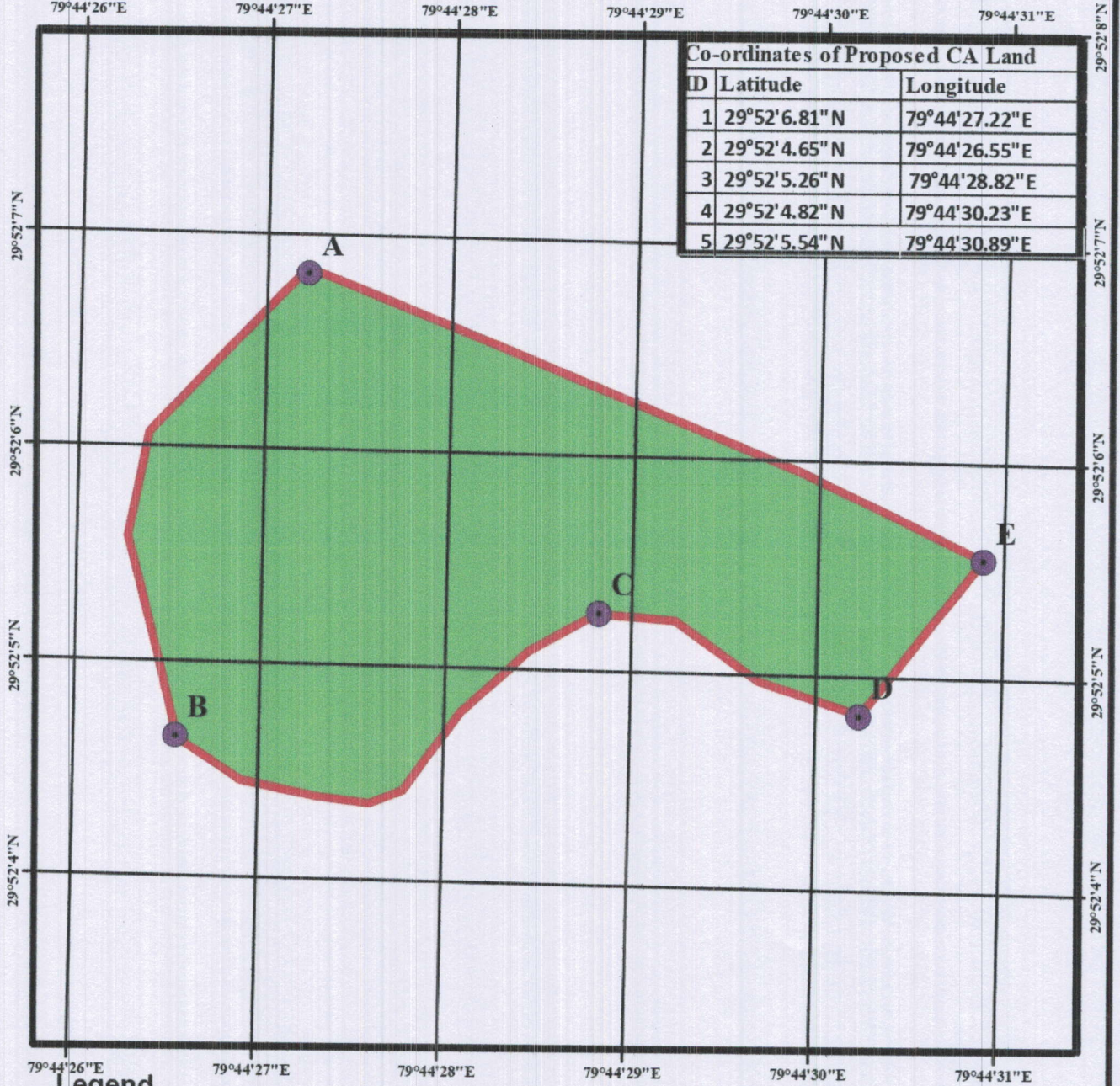
प्रभोगीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Prepared by: UFTA, Haldwani

जियोरेफरेंसिंग मैप- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।



प्रस्तावित वनीकरण स्थल- द0 खबडोली कक्ष 5, क्षेत्रफल 0.522 हैक्टेअर



Legend

Legend

- सहायक अभियन्ता
CA Propose Land GPS Point
- प्रांतीय खण्ड लो० नि० वि०
CA Propose Land

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
बागेश्वर

0 0.005 0.01 0.02 0.03 0.04
Kilometers

Scale - 1:800

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

Prepared by:UFTA, Haldwani

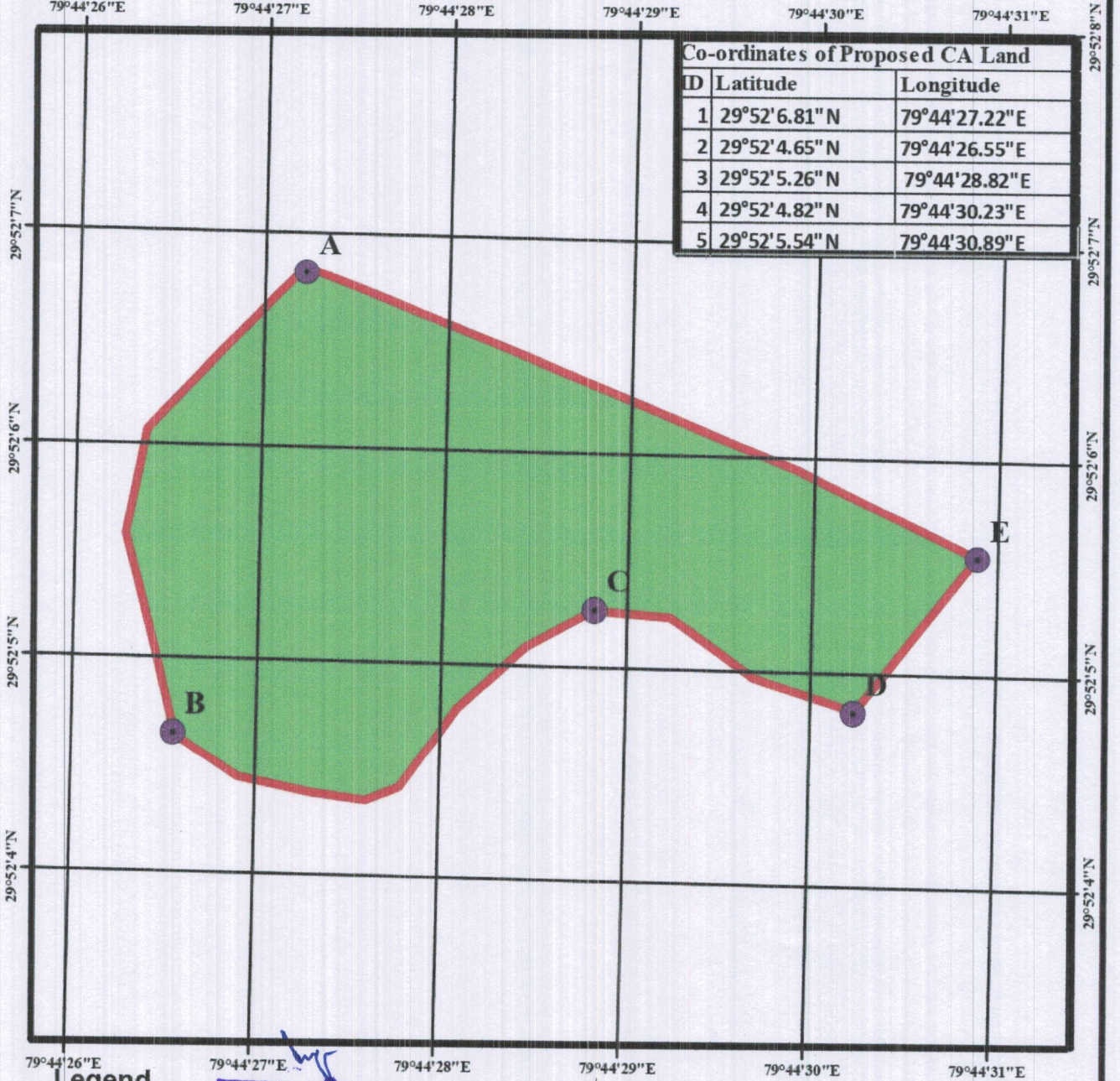
वृक्षदीर्घिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

जयोरफरेंसिंग मैप- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है। वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।



प्रस्तावित वनीकरण स्थल- द0 खबडोली कक्ष 5, क्षेत्रफल 0.522 हैक्टेअर



Legend

Legend



CA Propose land GPS Point



CA Propose Land

0 0.005 0.01 0.02 0.03 0.04
Kilometers

Scale - 1:800

Prepared by:UFTA, Haldwani

वन प्रभाग
बागेश्वर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-
बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 0 15 से उडलगॉव तक मोटर मार्ग
निर्माण कार्य।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण
पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/
भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की
बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

Kailash chandra
सहायक अभियन्ता 28/11/21
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधीशासी अभियन्ता 28/11/21
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर

नोट— उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com dfo_bageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फ़ैक्स नं० : 05963-220249 फ़ैक्स नं० 05963-220209



पत्रांक 4504 / 12-2

बागेश्वर, दिनांक : 28/04/2025

सिद्धि म.

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बागेश्वर।

विषय - जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से उड़लगाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.261 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ - भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं० 8बी/यू, सी०पी/०6/40/2023/एफ.सी./760 दिनांक 31.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सौद्धांतिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्त संख्या 03 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 522 पौधों का 0.522 है० क्षेत्र में रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु पौधारोपण योजना के अनुसार रोपण के लिए धनराशि कम जमा की गयी है।

अतः आप निर्धारित तालिका अनुसार अवशेष धनराशि रू० 49,196.00 को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क० स०	मद	क्षेत्रफल	ई०को० क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	522 पौधों का वृक्षारोपण	0.522 है०	5	0.4	5,43,037.00	2,83,465.00	2,34,269.00	49,196.00
	कुल योग					2,83,465.00	2,34,269.00	49,196.00

(ध्रुव सिंह मर्तोल्या)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बागेश्वर